

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)  
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली ख़ाँ मार्ग, पटना-800 014  
संख्या- FC-1/नूत

प्रेषक,

एस० के० सिंह, भा० व० से०  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
वन्यप्राणी अंचल, पटना।  
वन संरक्षक,  
गया अंचल, गया।

पटना-14, दिनांक-26/08/2015

विषय : गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिलान्तर्गत 765 KV सिंगल सर्किट गया-वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.8368 हे० वन भूमि का "उप महाप्रबंधक पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पू. क्षे.-I वाराणसी के पक्ष में" अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, गया अंचल, गया एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक FC-296 दिनांक 19.07.2013 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक सहमति में लगाये गये शर्तों के विरुद्ध प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 13.05.2011 एवं बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक 474 दिनांक 30.08.2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिलान्तर्गत 765 KV सिंगल सर्किट गया-वाराणसी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 4.8368 हे० वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाती है-

- (i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
- (ii) अपयोजित होने वाली 4.8368 हे० वन भूमि का NPV प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिहार सरकार के संकल्प संख्या 513 (ई०), दिनांक 27.11.2008 द्वारा निर्धारित दर पर 6.26 लाख रु० प्रति हे० की दर से कुल रु० 30,27,837/- (तीस लाख सताइस हजार आठ सौ सैतीस रुपये) मात्र की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।
- (iii) अपयोजित होने वाली वन भूमि के दुगुने (4.8368 ha X2)=9.6736 हे० अवकृष्ट वन क्षेत्र में वनरोपण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना खर्च पर किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी तात्कालिक दर पर प्राक्कलित राशि रु० 24,46,459/- (चौबीस लाख छियालीस हजार चार सौ उनसठ रुपये) मात्र पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है।

- (iv) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA की राशि RTGS/NEFT Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर Corporation Bank CGO Complex Phase-1 Lodi Road, New Delhi में जमा कराया गया है। यदि भविष्य में जमा की गयी राशि में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर इसकी जिम्मेवारी प्रयोक्ता एजेंसी की होगी एवं पुनः पुर्ण राशि जमा करना प्रयोक्ता एजेंसी के लिये बाध्यकारी होगा।
- (v) प्रयोक्ता एजेंसी से अतिरिक्त NPV की राशि मद में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार माँग की जायेगी तो उसे जमा करना प्रयोक्ता एजेंसी के लिये बाध्यकारी होगा।
- (vi) वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनों से गुजरने वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या Circuit Breakers का उपयोग किया जायेगा।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी राईट ऑफ वे पर बौनी प्रजाति (Dwarf Species) (विशेषकर मेडिसिनल पौधों) के पौधों के वृक्षारोपण हेतु स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तैयार योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि ₹० 28,30,168/- (अठ्ठाइस लाख तीस हजार एक सौ अड़सठ रुपये) मात्र उपलब्ध करा दी गयी है।
- (viii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त यह प्रयास किया जायेगा कि कम-से-कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा विद्युत लाईन किलीयेरेन्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वृक्षों की छँटाई (लौपिंग) कर वृक्ष को बचाने का प्रयास किया जायेगा।
- (ix) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 174 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्षों का पातन/कंटाई-छँटाई वन विभाग की देख-रेख में परियोजना खर्च पर किया जायेगा।
- (x) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।
- (xi) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- (xii) वृक्षों एवं संचालक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की बूरी रखी जायेगी। बृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।
- (xiii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।
- (xiv) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।
- (xv) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (xvi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
- (xvii) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तों आवश्यक होंगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।
- (xviii) उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक का भी अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी इस कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

- (xix) प्रयोक्ता एजेंसी (इस मामले में Power Grid Corporation India Limited) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।
- (xx) अगर उपर वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तब संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मार्ग निर्देश कंडिका-1.9 दिनांक 25.10.1992 के आलोक में सूचना देंगे। यदि इस अधिशेषित शर्त का उल्लंघन होता है तो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई किया जायेगा।

अपयोजित स्वीकृति का यह आवेदन राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये भारत सरकार द्वारा 5.00 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति राज्य सरकार को देने तथा इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) को यह शक्ति प्रत्योजित करने के आलोक में निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों को अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण वन संरक्षक, गया अंचल, गया एवं वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा की जायेगी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर द्वारा विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के तहत निर्गत अंतिम स्वीकृति के आलोक में 4.8368 हे० वन भूमि की विमुक्ति प्रयोक्ता एजेंसी को स्वीकृत कार्यों के लिये किया जायेगा। इस स्वीकृति पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार सरकार,

ह०/-

(एस० के० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापक- (P.C) 177 दिनांक 26/08/2015

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, एड-हॉक कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(एस० के० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापक- (P.C) 177 दिनांक 26/08/2015

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया/औरंगाबाद/रोहतास/कैमूर/ उप महाप्रबंधक पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, पू. क्षे. -I वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।